दिनांक 09.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 09/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना भोट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 08.06.2021 को थाना भोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोयली तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनवर अली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0–42/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनवर अली निवासी बेला की मढईया थाना असमौली जनपद सम्भल।

जनपद मुरादाबाद/थाना नागफनी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.06.2021 को थाना नागफनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अकबर कम्पाउण्ड में रहमान की फर्म के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मौ0 कदीर उर्फ अब्दुल कदीर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नागफनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–02/2015 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नागफनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मौ0 कदीर उर्फ अब्दुल कदीर निवासी दौलतबाग थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद।

जनपद मेरठ/थाना बहसूमा

- **पुलिस कार्यववाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 04 जीवित 03 खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 8/9.06.2021 की रात्रि थाना बहसूमा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झुनझुनी नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सन्नवर उर्फ भोला उर्फ भोलू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—प्रवेज उर्फ पप्पू 3—आसिफ सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य साथी मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 04 जीवित 03 खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सन्नवर उर्फ भोला उर्फ भोलू थाना बहसूमा में पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2021 धारा 3/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहसूमा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्नवर उर्फ भोला उर्फ भोलू निवासी हर्रा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

2–प्रवेज उर्फ पप्पू निवासी नयी बस्ती कस्बा व थाना फलावदा जनपद मेरठ।

3–आसिफ निवासी फत्तेउल्लापुर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 04 जीवित 03 खोखा कारतूस।

2–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.06.2021 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सम्भल चौराहा कस्बा जोया से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–मुस्लिम 2–दानिश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा के थाना डिडौली पर सी0ए0एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुस्लिम निवासी ककराली थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

2–दानिश निवासी ग्राम कूरी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

जनपद जौनपुर/थाना रामपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 09.06.2021 को थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना रामपुर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार निवासी चन्दौरी थाना छाता जनपद मथुरा।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 500 ग्राम अफीम**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 8ध्9.06.2021 की रात्रि थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार सरजू पुल के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—शैलेन्द्र 2—पंचराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 500 ग्राम अफीम, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शैलेन्द्र निवासी नगरिया थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

2—पंचराम निवासी ढका थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 500 ग्राम अफीम।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

जनपद बरेली/थाना अलीगंज

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 800 ग्राम अवैध अफीम**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 09.06.2021 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगंज पेट्रोल पम्प के पास से 02 मादक पदार्थ तस्करों 1—जयसिंह 2—प्रेमसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 800 ग्राम अवैध अफीम, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 कारतूस, 01 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जयसिंह निवासी मटियार थाना अलीगंज जनपद बरेली।

2—प्रेम सिंह निवासी ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 02 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 800 ग्राम अवैध अफीम।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 कारतूस।

3– 01 मोटर साइकिल।

4– 02 मोबाइल फोन।

जनपद बदायूं/थाना उझानी

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 चार पहिया वाहन, 01 ट्रक**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 08.06.2021 की रात्रि थाना उझानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहसवान तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–राशिद 2–शारिक 3–इन्तखाव 4–नाजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 चार पहिया वाहन, 01 ट्रक, 02 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त राशिद के विरूद्ध जनपद बदायूं व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त शारिक के विरूद्ध जनपद बदायूं के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा सड़क के किनारे खड़े वाहनो को चुराकर ग्रहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना उझानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद निवासी नदायल थाना सहसवान जनपद बदायूं।

2–शारिक निवासी छगनपुर अब्दुलपुर थाना मुजरिया जनपद बदायूं।

3–इन्तखाव निवासी नई बस्ती भूतबंगला थाना कोतवाली रूद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर।

4–नाजिम निवासी सीर गौटिया थाना कोतवाली रूद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर।

बरामदगी

1–चोरी के 02 चार पहिया वाहन।

2–चोरी का 01 ट्रक।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर 03 जीवित 01 खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना जैथरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन**
- **लॉक कटर, 08 चाबी बरामद**

दिनांक 08.06.2021 को थाना जैथरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेगमपुर मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–प्रवेश उर्फ प्रशान्त 2–लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो गढ़ी अड्डा पर पहचान बदलकर किराये का कमरा लेकर रहते थे तथा जनपद एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ के आस–पास के क्षेत्रो से वाहन चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना जैथरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवेश उर्फ प्रशान्त निवासी समयना थाना दादों जनपद अलीगढ़।

2–लक्ष्मी निवासी धर्मपुर थाना सुन्नगढ़ी जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

2–01 लॉक कटर।

3–08 चाबी।

एसटीएफः लखनऊ के पाश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी से दिनांक 06–06–2021 को श्री अनुराग शुक्ल, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ की पत्नी श्रीमती प्रीती शुक्ला, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ का इवनिंग वाक करते समय अपहरण।

रुपये 01 करोड़ की फिरौती मांग।

इस गैग के प्रमुख सदस्य को फिरौती की रकम देने के पूर्व ही एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अपहृता को सकुशल अवमुक्त कराया गया।

दिनांक 08–06–2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को लखनऊ के पाश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी से श्री अनुराग शुक्ल, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ की पत्नी श्रीमती प्रीती शुक्ला, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ का इवनिंग वाक करते समय दिनांक 06–06–2021 को अपहरण कर रुपये 01 करोड़ की फिरौती मांगने वाले गैंग के प्रमुख सदस्य को फिरौती की रकम देने के पूर्व ही गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

संतोष चौबे उर्फ सूर्या पुत्र गुलाब चौबे निवासी बिन्दवलिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजीपुर। हालपता हरकंशी गढ़ी, थाना पी0जी0आई0, कमिश्नरेट लखनऊ

अवमुक्त

श्रीमती प्रीती शुक्ल, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ सकुशल अवमुक्त

अवमुक्त कराने का स्थान, दिनांक व समय

विद्या हास्पिटल एंव ट्रामा सेण्टर, हरकंशी गढ़ी, थाना पी0जी0आई0, कमिश्नरेट लखनऊ के पीछे रिहाईशी इलाके में एक मकान में, दिनांक 08—06—2021, समय 23:30 बजे।

दिनांक 06—06—2021 को लखनऊ के पाश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी के सेलेब्रिटी ग्रीन्स में रहने वाले श्री अनुराग शुक्ल, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ की पत्नी श्रीमती प्रीती शुक्ला, अधिवक्ता हाईकोर्ट, लखनऊ का इवनिंग वाक करते समय कई अज्ञात अपराधियों द्वारा द्वारा अपहरण कर लिया गया था तथा अपहृता को अवमुक्त करने के एवज में 01 करोड़ की फिरौती अपहृता के ही मोबाइल से काल करके मांग की जाने लगी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट, लखनऊ में श्री अनुराग शुक्ल द्वारा मु0आ0सं0 209 /2021 धारा 364ए भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

अपहृता की सकुशल बरामदगी व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एस0टी0एफ0 की टीमो को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री दीपक सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक हेमन्त भूषण सिंह के नेतृत्व में एक टीम व निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय व उ0नि0 विनय कुमार सिंह को अलग—अलग टीमों का दायित्व सौंपा गया।

दिनांक 08—06—2021 को एस0टी0एफ0 द्वारा अपनी तकनीकी विशेषज्ञताओं का प्रयोग करते हुए अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ कि फिरौती मांगने वाला व्यक्ति जगह बदल—बदल कर श्रीमती प्रीती शुक्ला के मोबाईल से ही फिरौती की रकम की माँग कर रहा है, जिसके आधार पर एस0टी0एफ0 द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया। निरीक्षक श्री हेमन्त भूषण सिंह व निरीक्षक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय की टीमों को फिरौती की रकम लेने आने वाले अपराधियों द्वारा बताये गये स्थानों पर लगाया गया तथा तीसरी टीम उपनिरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह के साथ फिरौती मांगने वाले अपराधियों की लगातार मिल रही लोकेशन पर लगाया गया तथा नाईट विजन डिवाइस की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर निगाह रखी जाने लगी तथा तीसरी टीम के सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर लगाया गया। लगातार मिल रही लोकेशन एवं सदिग्ध गतिविधियों के आधार पर सर्च अभियान

करके विद्या हास्पिटल एंव ट्रामा सेण्टर, हरकंशी गढ़ी, थाना पी0जी0आई0 के पीछे रिहाईशी इलाके में एक मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियों के दिखाई देने पर वहाँ त्वरित कार्यवाही कर सर्च अभियान चलाया गया। मकान के बाहर खिड़की से दिखाई पड़ा की एक महिला जिसके हाथ पाँव बन्धे है, पलन्ग पर पड़ी है तथा उस कमरे के बाहर एक व्यक्ति मौजूद है। महिला को देखने पर एस0टी0एफ0 द्वारा अपने हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए तथा मकान के बाहर टीम के कुछ सदस्यों को किसी अप्रिय स्थिति से निबटने के लिए हिदायत देते हुए एक बारगी दबिश देकर घर के अन्दर घुस कर कमरे के बाहर खड़े वयक्ति को पकड़ कर कमरे के अन्दर जाने पर देखा कि एक महिला पलंग पर हाथ पांव बन्धी हुई पड़ी है। हाथ–पाँव खोल कर महिला से जानकारी की गयी तो उसने अपना नाम प्रीती शुक्ला बताया, जिसपर पकड़े गये व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया।

इसी बीच शोर–शराबे का महौल देखकर किसी व्यक्ति ने काल करके 112 नम्बर पर इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद डायल–112 व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँच गये, जिनको एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अभियान को फिरौती की रकम देने से पूर्व ही सकुशलन सम्पन्न कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि उसने जितेन्द्र, कल्लू, रोहित, बब्लू व उसके अन्य साथियों के साथ मिल कर अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया था। अपहरण करने के बाद हम लोगों ने एक करोड़ की फिरौती की रकम मांगी थी, जो आज रात हम लोगों को मिलनी थी, जिसे हम लोग आपस में बांट लेते परन्तु आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। साथियों के बारे में बताया कि वह पी0जी0आई0 के आस–पास के रहने वाले हैं। रात को डिलेवरी के समय एकत्र होते। इस समय मेरे द्वारा निगरानी का कार्य किया जा रहा था।

शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है तथा गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित अभियोग में दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एसटीएफः पश्चिमी उ0प्र0 के कुख्यात बदमाश व हत्या में वांछित रू0 50.50 हजार के इनामिया अपराधी धर्मेन्द्र किरठल एवं सुभाष उर्फ छोटू को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 08.06.2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उ0प्र0 के कुख्यात बदमाश व हत्या में वांछित रू0 50—50 हजार के इनामिया अपराधी धर्मेन्द्र किरठल एवं सुभाष उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1— धर्मेन्द्र चौहान उर्फ धर्मेन्द्र किरठल पुत्र स्व0 मास्टर रामपाल शास्त्री नि0 किरठल थाना रमाला जनपद बागपत

2— सुभाष उर्फ छोटू पुत्र रामस्वरूप निवासी सिसौली थाना भौराकला जनपद मुजफफरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः—

1— 01 तमंचा 315 बोर (मर्डर वैपन जो मु0अ0सं0ः214 / 20 धारा 302 भादवि थाना रमाला, बागपत से सम्बन्धि)

2— 01 टाटा सफारी गाडी नं0—एचआर 51बीई / 5061

गिरफ्तारी का दिनांक/समय एवं स्थान :—

दिनांक 08—06—2021 समयः 10.05 बजे, किरसौली चौक सहत्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ श्री अमिताभ यश द्वारा संगठित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, मेरठ श्री कुलदीप नारायण द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व एवं पुलिस उपाधीक्षक, श्री विनोद सिंह सिरोह व श्री देवेन्द्र कुमार के निर्देशन में उ0नि0 श्री ब्रहम प्रकाश, एसटीएफ नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0ः

214/2020 धारा 302 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत में वांछित रू0 50—50 हजार के इनामी अभियुक्त धर्मेन्द्र चौहान व सुभाष उर्फ छोटू उपरोक्त किरसौली चौक सहत्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर अपनी व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और बागपत में थाना रमाला में लाकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दाखिल किया गया। पूछताछ के उपरान्त थाना रमाला पुलिस के सहयोग से मु0अ0सं0ः 214/20 धारा 302 भादवि थाना रमाला, बागपत की हत्या की घटना में प्रयुक्त वैपन अभियुक्त धर्मेन्द्र किरठल की निशादेही पर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र किरठल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी आयु लगभग 50 वर्ष है तथा बी0ए0 पास है और थाना रमाला बागपत का एचएस नं0—720 ए है। बताया कि वर्ष 2002 में वह ग्राम किरठल का ग्राम प्रधान था तथा ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर किरठल निवासी नरेन्द्र व सुरेन्द्र से रंजिश हो गई थी। सुरेन्द्र की शादी उस के समय शातिर अपराधी नीटू कैल निवासी ग्राम कैल थाना गढी पुख्ता जनपद मुजफफरनगर की बहन से हुई थी। इसी रंजिश को लेकर वर्ष 2004 में नीटू कैल व उसके गैंग के अन्य साथियों ने धर्मेन्द्र किरठल के घर पर स्वचालित हथियारों से हमला किया था जिसमें धर्मेन्द्र किरठल के पिता, चाचा, भाई व भाभी मौके पर ही मारे गये थे तथा बहन बबिता गम्भीर रूप से घायल हो गयी थी। इसी रंजिश में धर्मेन्द्र किरठल ने वर्ष 2004 में रोहतक, हरियाणा में नरेन्द्र निवासी किरठल व उसके एक अन्य साथी जोकि मुकदमें में गवाह था की हत्या कर दी। वर्ष 2004 में ही ग्राम किरठल निवासी ब्रहम सिंह की हत्या धर्मेन्द्र किरठल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी।

वर्ष 2005 में धर्मेन्द्र किरठल ने सुरेन्द्र निवासी किरठल की हत्या अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर शामली में कर दी थी। वर्ष 2005 में अनिल भारसी निवासी कांधला, शामली व बबलू निवासी केजारेडी, शामली जोकि धर्मेन्द्र किरठल के घर पर हुए हमले में अभियुक्त और मुकदमें में जेल में निरूद्ध थे, इनकी गाजियाबाद न्यायालय में पेशी से वापसी के दौरान मुरादनगर में धर्मेन्द्र किरठल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन दोनों की हत्या कर दी थी।

वर्ष 2006 में धौलपुर राजस्थान में धर्मेन्द्र किरठल जनक यादव उर्फ अजय जडेजा व अजय जडेजा के साथी राहुल त्रिवेदी के साथ पकडा गया था और वर्ष 2011 तक जेल में रहा। धर्मेन्द्र किरठल जब मेरठ जेल में निरूद्ध था जहॉ वर्ष 2007 में कैदियों द्वारा जेल से भागने के लिए सुरंग खोद दी गई थी जिसके अपराधिक षडयन्त्र में धर्मेन्द्र

किरठल का नाम भी आया था और इसके विरूद्ध सख्ती बरतने के कारण वर्ष 2007 में इसने अजय जडेजा और ज्ञानेन्द्र ढाका के साथ मिलकर डिप्टी जेलर, मेरठ नरेन्द्र द्विवेदी की हत्या कराने में भी इसकी भूमिका प्रकाश में आयी थी। जेल में रहने के दौरान ही इसने वर्ष 2009 में किरठल निवासी साहब सिंह व गवाह मदन पुत्र नाहर सिंह की पुरानी रंजिश के चलते हत्याऐं करायी थी।

वर्ष 2011 में जमानत पर छूटकर बाहर आया और कुछ समय के बाद ही ग्राम प्रधान किरठल कृष्णपाल से चुनावी रंजिश हो गयी जिसके कारण अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णपाल पर अपने साथियों से जान लेवा हमला करा दिया था जिसमें कृष्णपाल बाल–बाल बचे थे। इसके बाद वर्ष 2013 में बागपत न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था और एक वर्ष जेल में रहा था तथा वर्ष 2014 में जेल छूटकर बाहर आया।

दिनांक 12.12.2020 को धर्मेन्द्र किरठल ने सुभाष उर्फ छोटू आदि के साथ मिलकर कृष्णपाल के घर रहने वाले इरशाद पुत्र फखरूददीन की गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला जनपद बागपत पर मु0अ0सं0:214/20 धारा 302 भादवि पंजीकृत है इसी अभियोग में अभियुक्त धर्मेन्द्र किरठल पर दिनांक 25–02–2021 को व सुभाष उर्फ छोटू उपरोक्त पर दिनांक 13.03.2021 को जनपद बागपत से रू0 50–50 हजार का इनाम घोषित हो रखा था।

गिरफतार अभियुक्त सुभाष उर्फ छोटू पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफफरनगर ने बताया कि उसकी आयु लगभग 50 वर्ष है तथा उसकी रिश्तेदारी धर्मेन्द्र किरठल के गांव में है और लगभग 25 साल से वह धर्मेन्द्र किरठल के साथ ही रहता है।

गिरफतार अभियुक्त धर्मेन्द्र चौहान उर्फ धर्मेन्द्र किरठल उपरोक्त का निम्न अपराधिक इतिहास ज्ञात हुआ हैः–

क्र0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1.	27/92	392 भादवि	रमाला	बागपत
2.	31/92	392 भादवि	रमाला	बागपत
3.	147/92	392 भादवि	रमाला	बागपत
4.	499/93	395,397 भादवि	रमाला	बागपत
5.	70/94	2/3 गैगस्टर एक्ट	रमाला	बागपत
6.	35/95	307 भादवि	रमाला	बागपत

7.	279 / 95	395 भादवि	शामली	शामली
8.	20 / 97	25 आर्म्स एक्ट	रमाला	बागपत
9.	181 / 09	307 भादवि	भोपा	मु0नगर
10.	09 / 2000	216 भादवि	रमाला	बागपत
11.	84 / 2000	394 भादवि	बीबीनगर	बुलन्दशहर
12.	77 / 2000	3 / 4 गुण्डा एक्ट	रमाला	बागपत
13.	573 / 2000	307 भादवि	नई मण्डी	मु0नगर
14.	129 / 2000	25 आर्म्स एक्ट	छपरौली	बागपत
15.	28 / 01	307 भादवि	थाना भवन	मु0नगर
16.	39. / 01	25 आर्म्स एक्ट	थाना भवन	म0नगर
17.	77 / 04	3 / 4 गुण्डा एक्ट	रमाला	बागपत
18.	57 / 02	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	मेडिकल	मेरठ
19.	722 / 04	307,302 भादवि	रोहतक	हरियाणा
20.	124 / 04	110 जी सीआरपीसी	रमाला	बागपत
21.	98 / 04	25 आर्म्स एक्ट	रमाला	बागपत
22.	84 / 04	302 भादवि	रमाला	बागपत
23.	596 / 05	307,302 भादवि	शामली	शामली
24.	576 / 05	307,302 भादवि	शामली	शामली
25.	381 / 05	307 भादवि	सरधना	मेरठ
26.	384 / 05	234,323506 भादवि	सरधना	मेरठ
27.	1185 / 05	307 भादवि	सि0 लाइन	मु0नगर
28.	1148 / 05	207 भादवि	सि0लाइन	मु0नगर
29.	1315 / 05	34 पु0मु0	रमाला	बागपत
30	21 / 06	307,325 भादवि	रमाला	बागपत
31.	59 / 06	399,402,420,467,468,411,120बी भादवि व 3 / 25 आर्म्स एक्ट	धौलपुर	राजस्थान
32.	172 / 06	399,402 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	धौलपुर	राजस्थान
33.	216 / 06	147,148,149,302 भादवि	को0बागपत	बागपत

34.	54 / 07	224,511,120बी,34 भादवि	मेडिकल	मेरठ
35.	552 / 07	149,302 भादवि	मेडिकल	मेरठ
36.	249 / 07	147,158,149,452,302,120बी भादवि	रमाला	बागपत
37.	350 / 07	302,120बी भादवि	मेडिकल	मेरठ
38.	76 / 08	147148,149,307,421 भादवि	मेडिकल	मेरठ
39.	77 / 08	45,42 जेल अधिनियम	मेडिकल	मेरठ
40.	242 / 08	137,323,332,353,308,120बी भादवि	मेडिकल	मेरठ
41.	73 / 08	147,148,336,307 भादवि 452 जेल अधि0	मेडिकल	मेरठ
42.	223 / 10	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	रमाला	बागपत
43.	40 / 11	307 भादवि	बुढाना	मु0नगर
44.	201 / 11	147,148,149,307 भादवि व 7 क्रि0ला0 एमे0एक्ट	रमाला	बागपत
45.	241 / 11	2 / 3 गुण्डा एक्ट	रमाला	बागपत
46.	314 / 11	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	रमाला	बागपत
47.	401 / 11	307 भादवि	बुढाना	मु0नगर
48.	177 / 12	302,307,120बी,34 भादवि	नजफगढ	नजफगढ
49.	290 / 15	3 / 4 यूपी गुण्डा एक्ट	रमाला	बागपत
50.	378 / 15	342,147,148,323 भादवि	रमाला	बागपत
51.	88 / 17	364ए, 34,506 भादवि	छपरौली	बागपत
52.	214 / 20	धारा 302 भादवि	रमाला	बागपत
53.	124 / 21	3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	रमाला	बागपत

गिरफतार अभियुक्त धर्मेन्द्र चौहान उर्फ धर्मेन्द्र किरठल व सुभाष उर्फ छोटू उपरोक्त को मु0अ0सं0–214 / 2020 धारा 302 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत में दाखिल किया गया। पूछताछ के उपरान्त अभियुक्त धर्मेन्द्र किरठल की निशादेही पर बरामद वैपन (तमन्चा 315 बोर) के सम्बन्ध में थाना रमाला, बागपत पर मु0अ0सं0: 124 / 21 धारा 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम विधि कार्यवाही थाना रमाला पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः ऑयल टैंकरों से पेट्रोल पम्पों पर नकली एवं मिलावटी पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ करते हुये 01 टैंकर, 11500 लीटर सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थ व गिरोह के सरगना सहित 04 सदस्य एस०टी०एफ० उ०प्र० द्वारा गिरफ्तार

दिनॉक 09.06.2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी व आसपास के जनपदों में ऑयल टैंकरों से पेट्रोल पम्पों पर नकली एवं मिलावटी पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ करते हुये 01 टैंकर, 11500 लीटर सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थ की बरामदगी करते हुए गिरोह के सरगना सहित 04 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1— राजकुमार जायसवाल पुत्र फूलचन्द जायसवाल, निवासी COD छिवंकी रोड म0नं0—206, संजय नगर, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज। **(गिरोह सरगना)**

2— विपिन मिश्रा पुत्र स्व0गिरिवर धर मिश्रा, निवासी शेखपुर अठगंवा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़। **(मॉ विध्यवासिनी आटो मोबाइल, पेट्रोल पम्प संचालक)**

3— अंकित शर्मा पुत्र शम्भूनाथ शर्मा, निवासी ग्राम गुड़रू रामपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़। **(मॉ विध्यवासिनी आटो मोबाइल पेट्रोल पम्प मैनेजर)**

4— बरमदीन उर्फ तेगा पुत्र किलोधर कुशवाहा, निवासी ग्राम मुंगारी, थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज। **(चालक)**

बरामदगीः-

1— 01 अदद ऑयल टैंकर नं0—यू0पी0—70—बीटी—2065।
2— 01 अदद वैगन आर कार नं0—यू0पी0—70—सीजेड—8799।
3— 9000 लीटर हाईड्रोकार्बन मिक्सचर।
4— 2500 लीटर सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थ।
5— 01 अदद डीप राड पीतल धातू की।
6— 01 अदद प्लास्टिक का मोटा डिलेवरी पाईप (करीब 10 फुट लम्बा)।
7— 04 अदद मोबाइल फोन।
8— 01 अदद टैबलेट।
9— 01 अदद पैनकार्ड।
10— 01 अदद ड्राइविंग लाईसेन्स।
11— 02 अदद आधार कार्ड।
12— 02 अदद फर्जी बिल्टी रसीद।
13— 03 अदद फर्जी TAX INVOICE।
14— रू0 1,95,000/— (रूपया एक लाख पंचानवे हजार) नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय</u>

मॉ विंध्यवासिनी ऑटो मोबाइल पेट्रोल पम्प (ESSAR), पटहटिया कला, फतनपुर, प्रतापगढ़, दिनांक 09.06.2021 व समय 02.10 AM।

प्रयागराज व आस–पास के जनपदों प्रतापगढ़, कौशाम्बी आदि में ऑयल टैंकरों से मिलावटी पेट्रोल/डीजल/सालवेण्ट की सप्लाई करने वाले हाइटेक गिरोह के सम्बन्ध में लगातार सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक–08.06.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री केशव चन्द्र राय के नेतृत्व में उ0नि0 श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, धर्मेन्द्र सिंह, मु0आ0 संजय कुमार सिंह, दिलीप कुमार त्रिपाठी, अश्वनी कुमार सिंह, अभिषेक मिश्रा, अमित वर्मा, प्रभन्जन पाण्डेय, साजित अली, आर क्षी किशन, रोहित सिंह, कमाण्डों नासिर व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र में अभिसूचना संकलन में मामूर थी कि मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जनपद प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत टैंकरों से मिलावटी पेट्रोल/डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य मॉ विंध्यवासिनी आटो मोबाइल पेट्रोल पम्प (ESSAR), पटहटिया कला, फतनपुर पेट्रोल पम्प पर टैंकर से मिलावटी पेट्रोल/डीजल सप्लाई करने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ की टीम द्वारा पूर्ति विभाग, प्रतापगढ़ की एक टीम को सहयोगार्थ साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचकर उपरोक्त सभी 04 अभियुक्तों को 01 अदद ऑयल टैंकर, 11500 लीटर सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थ, 01 वैगन आर कार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्तों से गहन एवं विस्तृत पूछताछ पर अभियुक्त राजकुमार जायसवाल उपरोक्त ने बताया कि पहले वह तेल टैंकरों के चालक के रूप में कार्य करता था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि ऐसे अवैध तेल सप्लाई के धन्धें में काफी पैसा है। अतः उसने स्वयं पेट्रोल पम्पों पर नकली पेट्रोल/डीजल सप्लाई के काम को करने की ठानी। सबसे पहले राजकुमार ने वर्ष 2000 में जायसवाल इण्टरप्राइजेज नाम से एक फर्म रजिस्र्टड करायी। कुछ ही दिनों बाद ये पेट्रोल/डीजल के अवैध धन्धों में लिप्त पाए जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, प्रयागराज द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराते हुए थाना नैनी, प्रयागराज द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने पुनः इस धन्धें को नये सिरे से आरम्भ किया। इसी क्रम में राजकुमार जायसवाल का सम्पर्क AMKAP MARKETING PVT. LTD. COMPANY अमांवा, रायबरेली के संचालक नरेश अग्रवाल व इनके पौत्र प्रणव अग्रवाल से हुआ। नरेश अग्रवाल व प्रणव अग्रवाल द्वारा अपनी केमिकल कम्पनी AMKAP MARKETING PVT. LTD. COMPANY की आड़ में वृहद् स्तर पर पेट्रोल एवं डीजल में मिलाकर बेंचे जाने वाले सालवेण्ट का अवैध धंधा किया जाता है। राजकुमार जायसवाल के इन दोनों के सम्पर्क में आने के पश्चात् काफी बड़े पैमाने पर नकली/मिलावटी/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई प्रतापगढ़ के कई पेट्रोल पम्पों तथा

कौशाम्बी एवं प्रयागराज के अनेक पेट्रोल पम्प व क्रेशर प्लान्टों पर किया जाने लगा। अभियुक्त राजकुमार जायसवाल द्वारा AMKAP MARKETING PVT. LTD. COMPANY के संचालक नरेश अग्रवाल व प्रणव अग्रवाल से 50—55 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से क्रय करके पेट्रोल पम्प वालों को 60—65 रूपये प्रति लीटर की दर से बेंचा जाता है। यही सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा असली पेट्रोल/डीजल में मिलावट करके सरकार द्वारा तय रेट पर बेंचकर आम जन—मानस को धोखा देने का कार्य इस गिरोह द्वारा पिछले काफी समय से किया जा रहा है। इस गिरोह के लोग इतने शातिर और चालाक है कि मनमाफिक तरीके से बिल्टी एवं TAX INVOICE भी तैयार कर लेते हैं ताकि रास्ते में कहीं पुलिस अथवा सम्बन्धित विभाग के लोग पकड़े तो उनको आसानी से चकमा दिया जा सके। अभियुक्तगणों के पास से 09 हजार लीटर हाईड्रोकार्बन मिक्स्चर इण्डस्ट्रियल फ्यूल ऑयल का TAX INVOICE व बिल्टी की रसीदें बरामद हुई जबकि टैंकर में 12 हजार लीटर सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थ लदा हुआ था। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सरगना राजकुमार जायसवाल द्वारा आज अपने टैंकर के जरिए सालवेण्ट/अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थों को फतनपुर, प्रतापगढ़ के मॉ विंध्यवासिनी आटो मोबाइल पेट्रोल पम्प को सप्लाई देते समय ही दबोच लिया गया, साथ ही सहयोगी के रूप में मौजूद पूर्ति विभाग की टीम द्वारा उक्त पेट्रोल पम्प को सील करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0—104/2021 धारा—285/407/409/419/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराकर अभियुक्तों को दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस तथा आपूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार राजकुमार जायसवाल पुत्र फूलचन्द जायसवाल, निवासी COD छिवंकी रोड म0नं0—206, संजय नगर, थाना नैनी, जनपद प्रयागराज का ज्ञात आपराधिक इतिहास :—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	36/2000	3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955	नैनी	प्रयागराज
2	104/2021	285/407/409/419/420/467/468/471 भादवि	फतनपुर	प्रतापगढ़

अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अभिलेखों में फेरबदल कर धोखाधड़ी से पुलिस विभाग मे भर्ती कराने वाले गैंग के 03 सदस्यों को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 व जनपद आगरा पुलिस के संयुक्त अभियान में किया गिरफ्तार।

दिनांक 08—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद आगरा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान अन्तर्राज्यीय स्तर पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर/ धोखाधड़ी से पुलिस

विभाग मे भर्ती कराने वाले गैंग के 03 सदस्यों को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 व जनपद आगरा पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1. अभिषेक कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम माती, थाना गोंडा, जनपद अलीगढ,।
2. पंकज कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बसई माती, थाना गोंडा, जनपद अलीगढ।
3. रामप्रकाश शर्मा पुत्र भगवान स्वरूप शर्मा निवासी ग्राम माती, थाना गोंडा, जनपद अलीगढ।

बरामदगीः—

1. 3 अदद मोबाईल ।
2. 02 अदद आधार कार्ड ।
3. 02 पैन कार्ड ।
4. 02 अदद ड्राइविंग लाइसेंसं ।
5. 02 अदद मोटर साईकिल (बुलट, स्पेलण्डर),
6. 03 अदद तीन एटीएम कार्ड ।
7. 03 अदद प्रवेश पत्र भिन्न—भिन्न अभ्यर्थियों के।
8. 1200 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः—

दिनांक 08.06.2021, स्थानः—थाना एत्माद्दौला, जनपद आगरा क्षेत्रान्र्तगत थाना टेढी बगिया तिराहे से आगरा की ओर अग्रवाल ट्रैडिंग कम्पनी के पास ,समय 21.15 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में कूटरचित दस्तावेज एवं अभिलेखों में फेरबदल कर धोखाधड़ी से मूल अभ्यर्थी के स्थान पर साल्वर को लिखित परीक्षा में बैठाकर पुलिस विभाग मे भर्ती कराने वाले अपराधियों/गैंग के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री हुकुम सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 08—06—2021 को अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जिन लोगों की आपको तलाश है वह लोग किसी कार्य से 8.30 से 9.00 बजे रात्रि तक थानाक्षेत्र एत्माद्दौला में अलीगढ की ओर से रामबाग पुल के आस—पास आयेंगे।, यदि शीघ्रता की जाये तो इस गैंग को पकड़ा जा सकता है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर विश्वास कर निरीक्षक हुकुम सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री प्रमोद कुमार, उपनिरीक्षक श्री धूम सिंह, उपनिरीक्षक श्री अमित गोस्वामी, मु0आरक्षी सन्तोश कुमार, मु0 आरक्षी बृजराज सिंह, आरक्षी प्रशांत चौहान, आरक्षी अंकित गुप्ता, आरक्षी प्रदीप कुमार, कमाण्डो राजपाल सिंह, व आरक्षी चालक भंवर सिंह की एक टीम गठित कर तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पहुँची। उसी समय थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में मोटरसाईकिल पर गश्त कर रहे उ0नि0 श्री अमित अशोक एवं आरक्षी दुर्गा प्रसाद मिले, जिन्हे कारण बताकर अपने पास चैकिंग हेतु रोक लिया तथा पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया। कुछ समय बाद 2 व्यक्ति बुलैट मोटरसाईकिल

व 1 व्यक्ति स्पलेण्डर मोटरसाईकिल सवार बताये गये स्थान पर आये, जिन्हे एक बारगी दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

पूछताछ पर गिरफ्तार किये गये फ्राड गैंग के सरगना अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह ने बाताया कि मेरे साथी प्रिंस कुमार पुत्र नामालूम निवासी बुलन्दशहर जो मेरे साथ केडी कैम्पस कोचिंग सेन्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली में वर्ष 2018 में कोचिंग करता था, जिसको मैं लेकर आया और अभ्यर्थी रजत कुमार, अमित कुमार एवं जितेन्द्र कुमार की पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर भर्ती होने की लिखित परीक्षा दी थी, जिसमें रजत कुमार, अमित कुमार उक्त परीक्षा में पास होकर पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर भर्ती हो गये तथा अभी पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस काम का पेमेन्ट हमें नहीं मिल पाया है। आज अपना हिसाब किताब करने के लिये हम लोग इकट्ठा हुये थे कि आप लोगों द्वारा पकड लिया।

मजीद पूछताछ पर उसके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा रामप्रकाश, पंकज निवासीगण उपरोक्त एवं रवि कुमार पुत्र सतीश गौतम निवासी गांव माती थाना गोंडा, जनपद अलीगढ़ ने परीक्षा दी गई थी, जिसमें रामप्रकाश एवं पंकज उपरोक्त परीक्षा में पास हो गये थे लेकिन दौड़ के समय बायोमैट्रिक मैच नहीं हो पाया और रवि उपरोक्त परीक्षा में पास होकर आरक्षी पद पर जनपद इटावा में नौकरी कर रहा है। इस काम में प्रिंस के अलावा राहुल गोस्वामी पुत्र बीरेन्द्र गोस्वामी निवासी गांव मकनपुर जलेसर रोड, थाना सहपऊ, जनपद हाथरस भी मेरे साथ काम करते हैं। हम लोगों ने योजना बद्व तरीके से पुलिस भर्ती 2018—19 में लिखित परीक्षा एवं कागजों की चैंकिग में अपना बायोमैट्रिक लगाकर इन लोगों की परीक्षा दी है। इस काम के लिये हम लोगों ने 2.50 से 4 लाख रूपये तक कमाये हैं। मैं इससे पहले इसी काम के लिये थाना ताजगंज, आगरा से भी पकडा गया था और जेल गया था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों व प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों के विरूद्व थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा पर मु0अ0सं0 389/2021 धारा—419, 420, 467, 468, 471, 472., 120बी भादवि व धारा— 66 बी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम—2008 व धारा—07 परीक्षा अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा द्वारा की जा रही है।

———————